

22/2/2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी का सही नाम विनोद पुत्र पूरणमल है क्योंकि वादी की माता का विवाह सुवा के साथ हुआ था जब वादी अपनी मां के गर्भ में था तब सुवा की मृत्यु ही गयी एवं वादी की माता को सुवा के भाई पूरण का चूडा पहना दिया इस प्रकार वादी के पिता पूरण हो गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय प्रार्थी का गलत नाम विनोद पुत्र सुवा दर्ज किया गया। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादी का एवं अपनी माता अणची व करण पुत्र इन्द्राज का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र व राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विनोद पुत्र सुवा अंकित है। वादी का कथन कि वादी का नाम का सही नाम विनोद पुत्र पूरणमल है की पुष्टि राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रतियां से होती है तथा स्वयं वादी का एवं अपनी माता अणची व करण पुत्र इन्द्राज के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
तीमकाथाना

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

( ०९ आदेश )

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मंडोली पटवार हल्का मंडोली स्थित भूमि खसरा नंबर 771 रकबा 1.14 है० में दर्ज खातेदार विनोद पुत्र सुवा के स्थान पर विनोद पुत्र पूरणमल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



22/02/2024  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना